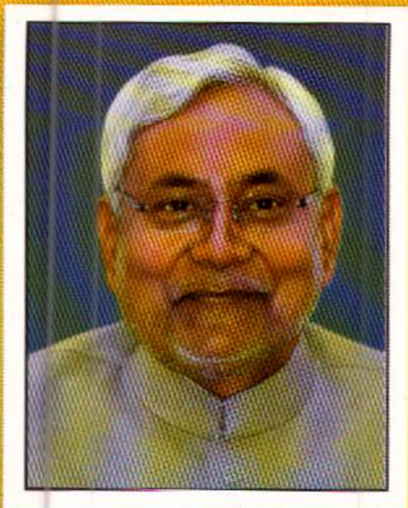

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री
बिहार

बिहार सरकार

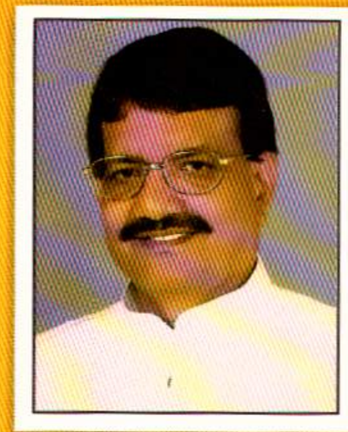

डा. मदन मोहन झा
मंत्री
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन-2015-16

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन –2015-16

कार्य योजना – 2016-17

राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक

प्रमण्डलीय समीक्षा बैठक।

विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संदेश	5–6
2	बिहार राज्य एक नजर में	7
3	प्रशासनिक ढाँचा	8–11
4	2016–17 का प्रस्तावित बजट उपबंध।	12
5	कल्याणकारी योजनाएँ	13–35

बिहार सरकार

डा॰ मदन मोहन झा
मंत्री
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार

बिहार सरकार

दूरभाष सं॰ : 0612–2217355 (का॰+फैक्स)
0612–2217988 (आ॰)
मोबाईल सं॰ : + 91–9431019240

संदेश

राज्य सरकार भूमि प्रबंधन, भूमि विवादों के त्वरित एवं निष्पक्ष निष्पादन, भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण, वास रहित महादलित एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को वास भूमि उपलब्ध कराने तथा आवंटित भूमि से बेदखल होने की स्थिति में दखल दिलाने एवं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्प है।

राज्य में माह अक्टूबर, 2014 से "ऑपरेशन भूमी दखल देहानी" अभियान के तहत गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम, अधिशेष भूमि, भूदान एवं बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के अधीन आवंटित भूमि के रैयतों का सर्वेक्षण, सूचीकरण के साथ–साथ बेदखली को भी सूचीबद्ध कराया जा रहा है, तथा बेदखल पाये गये पर्चाधारियों को नियमानुसार दखल दिलाने की कार्रवाई युद्धस्तर पर की जा रही है।

राज्य के महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) के वास भूमि रहित परिवारों का सर्वेक्षण कर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वास योग्य 5 डी0 वास भूमि प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने के उदेश्य से "अभियान बसेरा" नामक समग्र योजना (Umbrella Scheme) नवम्बर 2014 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना अंतर्गत महादलित विकास योजना (रैयती भूमि क्रय नीति 2010), गृह स्थल योजना (रैयती भूमि क्रय नीति 2011) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को शामिल कर लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत महादलित सहित सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वास भूमि उपलब्ध करायी जाती है। रैयती भूमि क्रय नीति 2010 एवं 2011 के अंतर्गत न्यूनतम बाजार मूल्य (MVR) पर रैयती भूमि क्रय कर 5 डी0 प्रति परिवार वास भूमि तथा कलस्टर (यथासंभव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 5 डी0 भूमि प्रति परिवार की दर से (अर्थात 100 डी0) वास हेतु तथा वास भूमि के आलावे 20 डी0 अतिरिक्त जमीन आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य के महादलित सहित सभी सुयोग्य परिवारों यथा अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II को वास भूमि उपलब्ध कराने की नीति के अन्तर्गत "अभियान बसेरा" कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सभी सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों का सर्वेक्षण कराने तथा उन्हें वास भूमि उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में क्रय नीति के अन्तर्गत न्यून्तम बाजार मूल्य पर क्रय कर वास भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। वास भूमि हेतु 3 डीसमिल के स्थान पर 5 डीसमिल जमीन देने का निर्णय लिया गया है। यदि कलस्टर में बसाया

जाता है तो आंतरिक सड़क, सामुदायिक भवन इत्यादि के लिए अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में वास करने वाले वास भूमि रहित अनुसूचित जाति / जन जाति के परिवारों को अधिकतम 30 वर्ग मीटर सरकारी भूमि सतत लीज़ पर देने का निर्णय लिया गया है, जिसका सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है एवं सर्वेक्षण हेतु राशि भी आवंटित कर दी गयी है।

राज्य में वैसे ग्राम / टोले / मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है।

आर0टी0पी0एस0 के साथ–साथ दाखिल खारिज वादों के त्वरित निष्पादन हेतु विशेष राजस्व शिविर चलाया जा रहा है। जिसके लिए जिले में साप्ताहिक दिनों (दूसरा एवं चौथा मंगलवार) का निर्धारण कर शिविर चलाये जा रहें हैं।

भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण योजना अंतर्गत रीविजनल सर्वेक्षण द्वारा भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण एवं खतियान का प्रकाशन किया जा रहा है। अभी तक 246 अंचलों में डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अद्यतन रि–सर्वे मानचित्र के आधार पर बंदोवस्त कार्यालयों द्वारा खतियान तैयार किया जा रहा है।

विभाग के कार्यक्रमों एवं नीतियों के सफल एवं त्वरित कार्यान्वयन में पदाधिकारियों की सतत सेवाकालीन प्रशिक्षण की महत्ता के मद्देनजर अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अंचल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। साथ ही साथ नव–नियुक्त अंचल निरीक्षक को विपार्ड में तीन माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

विभाग स्तर पर उपरोक्त कार्यक्रमों के संचालन एवं पर्यवेक्षण के लिए अलग से भूमि सुधार कोषांग गठित किया गया है, जो लगातार जिलों के सम्पर्क में रहकर इन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करता है।

मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा भूमि सुधार की दिशा में उठाये गये लोक उपयोगी कदम से बिहार की जनता को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इन जन उपयोगी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य की जनता का पूर्ण एवं सक्रिय सहयोग तथा भागीदारी अपेक्षित है।

मदन मोहन झा

(डा॰ मदन मोहन झा)

बिहार राज्य एक नजर में

1.	प्रमंडलों की संख्या	–	9
2.	जिलों की संख्या	–	38
3.	अनुमंडलों की संख्या	–	101
4.	अंचलों की संख्या	–	534
5.	हल्का की संख्या	–	8463
6.	राजस्व ग्रामों की संख्या	–	45098

प्रशासनिक ढाँचा

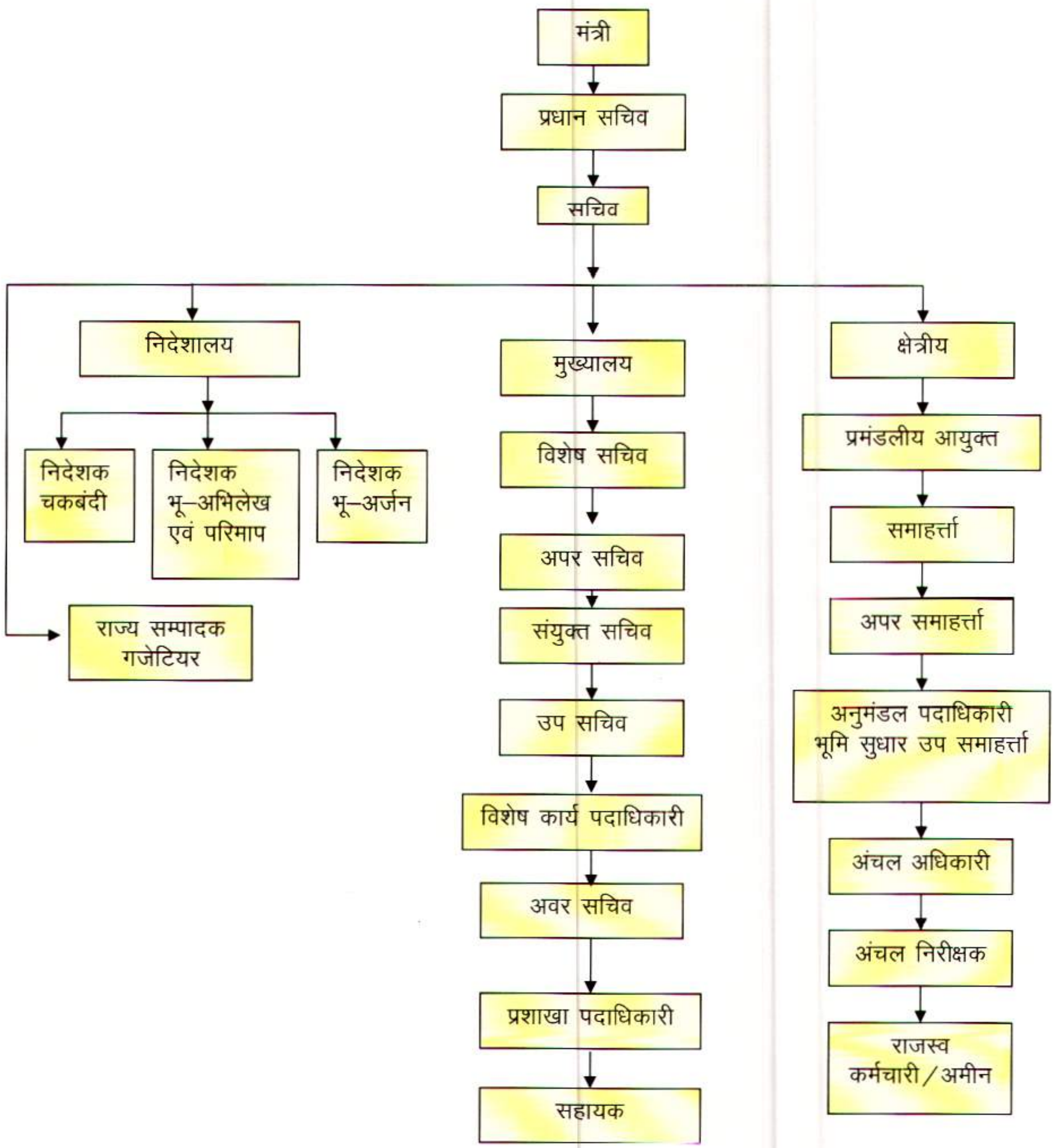
मंत्री
प्रधान सचिव
सचिव
निदेशालय
निदेशक चकबंदी
निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप
निदेशक भू–अर्जन
राज्य सम्पादक गजेटियर
मुख्यालय
विशेष सचिव
अपर सचिव
संयुक्त सचिव
उप सचिव
विशेष कार्य पदाधिकारी
अवर सचिव
प्रशाखा पदाधिकारी
सहायक
क्षेत्रीय
प्रमंडलीय आयुक्त
समाहर्त्ता
अपर समाहर्त्ता
अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
अंचल अधिकारी
अंचल निरीक्षक
राजस्व कर्मचारी / अमीन

भू–अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय

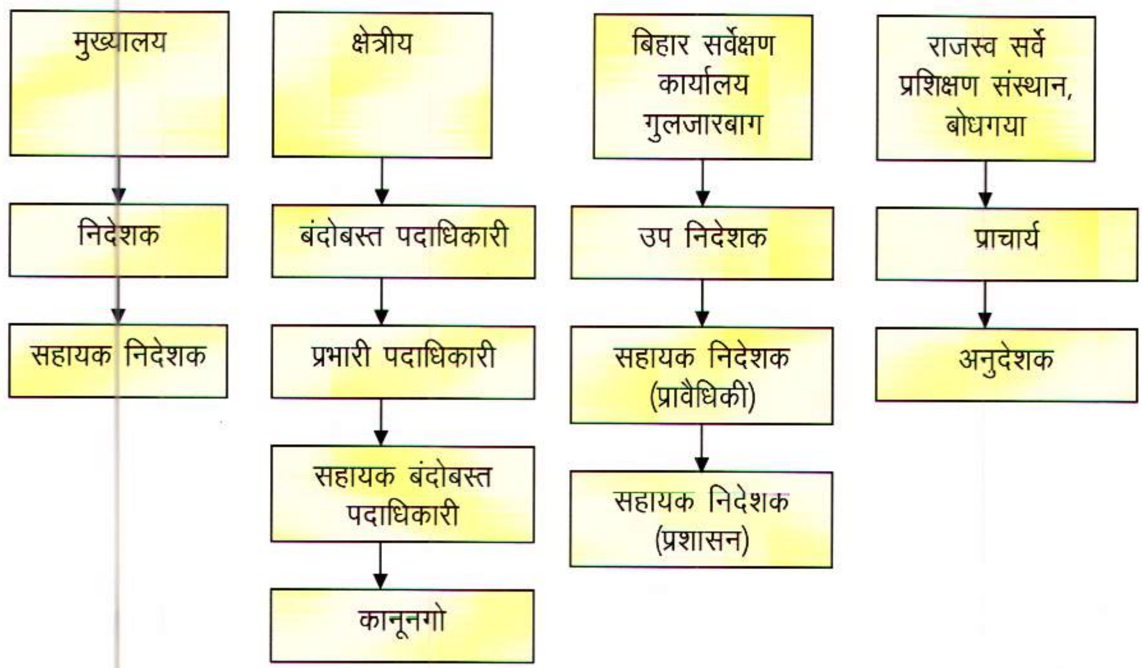

चकबंदी निदेशालय

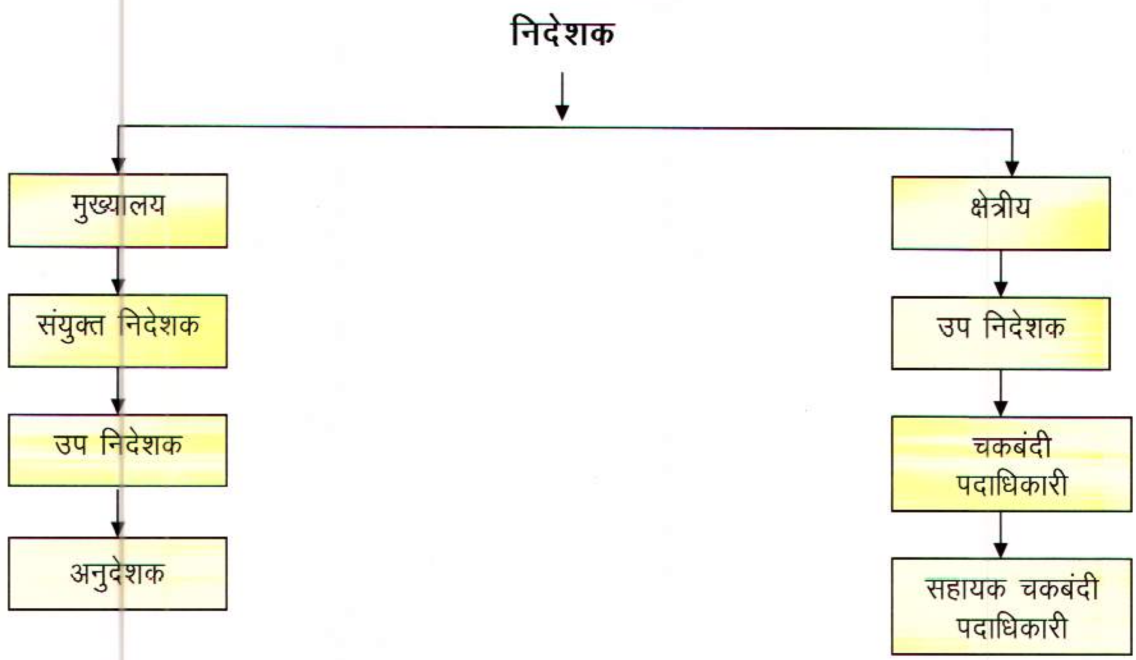

स्वीकृत पद/रिक्ति
(सचिवालय स्थित मुख्यालय)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	भूमि सुधार आयुक्त–सह–प्रधान सचिव	1	1	0
2	निदेशक, चकबंदी	1	1	0
3	निदेशक, भू–अर्जन	1	1	0
4	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप	1	1	0
5	राज्य सम्पादक, गजेटियर	1	0	1
6	अपर सचिव	1	0	1
7	विशेष सचिव	1	0	1
8	संयुक्त सचिव	2	1	1
9	उप सचिव	1	1	0
10	विशेष कार्य पदाधिकारी	1	1	0
11	अवर सचिव	5	1	4
12	प्रशाखा पदाधिकारी	20	12	8
13	सहायक	86	53	33
14	प्रधान आप्त सचिव	1	1	0
15	आप्त सचिव	2+3	2	3
16	निजी सहायक	7	2	5
17	आशुलिपिक	10+6	1	9+6
18	निम्न वर्गीय लिपिक	32	9	23
19	उच्च वर्गीय लिपिक	31	5	26
20	परिचारी	82	69	13

स्वीकृत पद/रिक्ति
(क्षेत्रीय स्थापना)

क्रं	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	अपर समाहर्त्ता	38	31	07
2	भूमि सुधार उप–समाहर्ता	101	100	01
3	अंचल अधिकारी (प्रभारी)	534	530	04
4	चकबंदी पदाधिकारी	39	37	02
5	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	38	31	07
6	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी प्रभारी)	547	54	493
7	राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड (अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड)	886	102	784
8	राजस्व कर्मचारी (जिला स्तरीय)	8463	3910	4553
9 (i)	अमीन (जिला स्तरीय)	1802	256	1546
(ii)	अमीन (चकबंदी) स्थायी (गैर योजनान्तर्गत)	368	03	365
	(ख) अस्थायी (योजनान्तर्गत)	3489	20	3469

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत योजना मद में बजट उपबंध

क्रं0	योजना का नाम	उद्व्यय (रू0 लाख में)
1.	भू–अभिलेख का अद्यतीकरण	4674.42
2.	जोतों की चकबंदी	900.00
3	भूमि सुधार उप समाहत्ताओं के न्यायालय कक्ष/कार्यालय निर्माण की योजना	1.00
4.	कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन के लिए सभी जिला मुख्यालयों/अनुमंडल मुख्यालयों/प्रखण्ड मुख्यालयों में भूमि बैंक योजना	1.00
5.	सरकारी भूमि की घेरा बंदी	49.00
6.	विभागीय मुख्यालय कार्यालय/ प्रकोष्ट का आधुनिकीकरण के मद में	100.00
7.	क्षमता वर्द्धन मद में	50.00
8.	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत गृह विहीनों के लिए वास भूमि	138.34
9.	बिहार गृह स्थल क्रय नीति–2011 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के गृहविहीन परिवारों के लिए गृह निर्माण हेतु	100.00
10	सम्पर्क सड़क	200.00
11	महादलित विकास योजना (अनुसूचित जाति घटक सहित)	2075.08
12	बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय कक्ष/भवन निर्माण	50.00
13	NLRMP (CSS)	5495.00
	कुल योग (राज्य योजना)	**13833.84**

विभागान्तर्गत महत्त्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यो की प्रगति

1. **महादलित विकास योजना** :– महादलित विकास योजनान्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से राज्य में लागू है।

इस योजनान्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास, गैरमजरूआ आम तथा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोवस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत MVR पर प्रति परिवार 05 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराया जाता है। परन्तु जमीन के बाजार मूल्य में वृद्धि होने के कारण 20000/– रू0 के मूल्य पर 3 डि0 जमीन के क्रय में हो रही कठिनाईयों को देखते हुए **"सरकार द्वारा रैयती भूमि के क्रय की नयी नीति के तहत् न्यूनतम प्राक्कलित मूल्य (MVR) के आधार पर रैयती भूमि का क्रय कर वासरहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने से सम्बन्धित निर्णय लिया गया है।"**

महादलित विकास योजना के तहत अभी तक सभी स्त्रोतों से 2,38,606 परिवारों को 7284.79 एकड़ जमीन उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें अबतक कुल–88068 (अठासी हजार अडसठ) वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि बन्दोबस्ती से उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 3155.78 एकड़ है। इसी प्रकार 46450 (छियालीस हजार चार सौ पचास) वासरहित महादलित परिवार को गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1112.29 एकड़ है।

बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत कुल–61346 (एकसठ हजार तीन सौ छियालीस) महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें सन्निहित रकबा 1765.63 एकड़ है।

रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में 2625.10 लाख रू0 पुनरीक्षित 2287.19 लाख रूपए उपबंधित है। यह राशि संबंधित जिलों को अवशेष महादलित परिवार की संख्या तथा जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में आवंटित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए इस योजनान्तर्गत 2075.08 लाख रूपए बजट उपबंध प्रस्तावित है। बिहार महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत अबतक कुल–42602 वासरहित महादलित परिवारों को रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल सन्निहित रकबा 1246.51 एकड़ भूमि है। अन्य स्त्रोतों से 140 परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार उक्त सभी श्रोतों से कुल 2,38,606 परिवारों को कुल 7284.79 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

अद्यतन सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल 3139 (तीन हजार एक सौ उनचालीस) वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

सभी स्त्रोंतो से वासरहित महादलित परिवारों को उपलब्ध करायी गयी वासभूमि से संबंधित विवरणी :–

जमीन का स्वरूप (स्रोत)	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
		परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	
गैरमजरूआ मालिक भूमि	86324	88068	3155.78	102.02
गैरमजरूआ आम भूमि	47793	46450	1112.29	97.19
वासगीत पर्चा	57533	61346	1765.63	106.63
क्रयनीति के अन्तर्गत	50095	42602	1246.51	85.04
अन्य स्रोतों से	0	140	4.88	0
कुल	241745	238606	7284.79	98.70

महादलित विकास योजनान्तर्गत पूर्व से सर्वेक्षित महादलित परिवारों को 31 मार्च, 2016 तक शत–प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है।

2. **अभियान बसेरा :–** महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) के वास भूमि रहित परिवारों का सर्वेक्षण कर निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वास योग्य 5 डी0 वास भूमि प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराने के उदेश्य से "अभियान वसेरा" नामक समग्र योजना (Umbrella Scheme) नवम्बर 2014 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना अंतर्गत महादलित विकास योजना (रैयती भूमि क्रय नीति 2010), गृह स्थल योजना (रैयती भूमि क्रय नीति 2011) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को शामिल कर लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत महादलित सहित सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को गैर मजरूआ मालिक / गैर मजरूआ आम / बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वास भूमि उपलब्ध करायी जाती है। जहाँ उक्त तीनों स्रोतों में वास भूमि उपलब्ध नही है वहाँ ऊपर यथा अंकित रैयती भूमि क्रय नीति 2010 एवं 2011 के अंतर्गत न्यूनतम बाजार मूल्य (MVR) पर रैयती भूमि क्रय कर 5 डी0 प्रति परिवार वास भूमि तथा कलस्टर (यथासंभव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 5 डी0 भूमि प्रति परिवार की दर से (अर्थात 100 डी0) वास हेतु तथा वास भूमि के आलावे 20 डी0 अतिरिक्त जमीन आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस अभियान की यह विशेषता है कि इस योजना के अंतर्गत वैसे महादलित परिवार जो महादलित विकास योजना के अंतर्गत छुट गये थे, को अभियान बसेरा के अंतर्गत आच्छादित किया जा रहा है। अभियान बसेरा के अंतर्गत लगातार सर्वेक्षण एवं वास भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

अभियान बसेरा का श्रेणीवार भौतिक प्रतिवेदन			
श्रेणी	कुल सर्वेक्षित परिवार	लाभान्वित परिवार	शेष परिवार
1	2	3	4
पिछड़ी जाति–I	14406	4909	9497
पिछड़ी जाति–II	8428	2573	5855
अनुसूचित जाति	12365	3560	8805
अनुसूचित जनजाति	2961	711	2250
महादलित	60072	27257	32815
कुल योगः–	**98232**	**39010**	**59222**

वित्तीय वर्ष 2016–17 अंतर्गत महादलित विकास योजना हेतु 2075.08 लाख रूपये, गृह स्थल योजना हेतु 100.00 लाख तथा टी0एस0पी0 योजना हेतु 138.34 लाख रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

3. **सम्पर्क सड़क योजना :–** सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम/टोले/मुहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि के अर्जन के लिए जिलों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में 550.00 लाख रूपए जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में आवंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 70 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 98 ग्राम/टोले/मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 200.00 लाख रूपये का बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	लक्ष्य		उपलब्धि	
	इस योजनान्तर्गत प्रारम्भ की गयी योजनाओं की संख्या	सम्पर्क सड़क से जोडने वाली टोलों / मुहल्लों की संख्या	पूर्ण की गयी योजनाओं की संख्या	सम्पर्क सड़क से जुड़े टोलों/मुहल्लों की संख्या
550.00	309	369	70	98

4. **बिहार राज्य शहरी क्षेत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वास भूमि रहित परिवारों के लिए वास भूमि नीति, 2014 :–** राज्य सरकार द्वारा शहरी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वास भूमि रहित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु नीति गठित की गयी है। यह नीति देश में किसी राज्य ने पहली बार अपनायी है इसके अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में वास करने वाले अनु0जाति/अनु0 जनजाति के वास भूमि रहित अथवा आवास रहित परिवारों को वास भूमि आवास उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य शहरी क्षेत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वास भूमि रहित परिवारों के लिए) वास भूमि

नीति, 2014 गठित किया गया है। इसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में वास रहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों का समय–समय पर राज्य व्यापी सर्वेक्षण किया जायेगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध वास योग्य गैर मजरूआ मालिक/खास महाल एवं कैसरे हिन्द भूमि (जो राज्य सरकार के दखल में हो) को चिन्हित कर सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को 30 वर्ग मीटर की अधिकतम सीमा तक सतत् लीज पर आवंटित की जायेगी। शहरी क्षेत्र के कम से कम दस वर्ष या उससे अधिक से निवास कर रहे वैसे परिवार जिनके किसी सदस्य के पास राज्य अथवा राज्य के बाहर अपनी वास भूमि अथवा आवास नहीं हो तथा जो शहरी BPL की सूची में शामिल हो, वैसे परिवारों को वास हेतु भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। यदि शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध नहीं हो पायेगी तो परिवार की सहमति पर निकटतम/पंचायतों में 5 डी0 भूमि क्रय कर उपलब्ध करायी जायेगी।

शहरी क्षेत्र के वासरहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परिवारों एवं उन्हें उपलब्ध कराये जाने वाली जमीन का सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रगति पर है। सर्वेक्षण कार्यक्रम के संपादन हेतु राज्य के सभी नगर निकायों यथा नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगर पंचायत को सर्वेक्षण हेतु राशि उपलब्ध करा दी गयी है तथा सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

5. **ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी** :– राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न श्रेणी यथा गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम, अधिशेष भूमि, भूदान, बिहार प्रश्रय प्राप्त रैयती गृह स्थल अधिनियम के अन्तर्गत एवं क्रय नीति से भूमि का वितरण किया गया है, वैसे पर्चाधारियों को उनको आवंटित भूमि पर बेदखल की स्थिति में दखल कब्जा दिलाने के उद्देश्य से **"ऑपरेशन भूमि दखल देहानी"** के नाम से बेदखल पर्चाधारियों को चिह्नित करने एवं उन्हें आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस योजनान्तर्गत पंचायतवार विशेष शिविरों का आयोजन कर बेदखली के मामलों का पता लगाने तथा पुलिस बल की मदद से बेदखल पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर दखल दिलाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पर्चाधारियों एवं बेदखली के मामलों तथा शिविरों की तिथि/समय/स्थान की सूचना सम्बन्धित जिलों के वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। अभीतक 50,000 से अधिक पर्चाधारियों को इस अभियान के अन्तर्गत उन्हें आवंटित भूमि पर दखल कब्जा दिलाया जा चुका है। दिनांक–31 मार्च, 2016 तक सभी बेदखल हुए पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।

ऑपरेशन भूमि दखल देहानी अन्तर्गत बेदखली के मामलों को चिन्हित करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन लगातार सितम्बर, 2014 से किया जा रहा है। इन शिविरों के व्यापक प्रचार हेतु प्रति अंचल 10,000/– की दर से कुल रू0 53.40 लाख रू0 मात्र का राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गयी हैं इन शिविरों में कुल 1,46,093 बेदखली के मामले प्रकाश में आया है। जनवरी, 15 से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चिन्हित किये गये बेदखल पर्चाधारियों को उनको आवंटित भूमि पर दखल दिलाया जा रहा है। 28 जनवरी,

2016 तक 44196 बेदखल किये गये पर्चाधारियों को उनके आवंटित भूमि पर पुनः दखल दिलाया गया है।

6. **बिहार भूमि न्यायाधिकरण :–** बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम–09, 2009) की धारा–4 (1) के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–8/विविध (पद सृजन)–24–06/11–298 (8)/रा0 दिनांक–02.04.2012 के द्वारा दिनांक–10.01.2012 के प्रभाव से निम्नलिखित को मिलाकर किया गया है :–

क.	अध्यक्ष	1 (एक)
ख.	सदस्य (प्रशासनिक)	2 (दो)
ग.	सदस्य (न्यायिक)	2 (दो)

2. बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से कार्यशील हुआ।

3. बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा निष्पादित वादों एवं अन्य का विवरण –

क्रमांक	वर्ष	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
1	2012	23	19
2	2013	1009	412
3	2014–2015	1015	302
4	2015–2016 (फरवरी, 2016 तक)	1628	694
	कुल	3675	1427

4. बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा फाइलिंग से आय 62145/– रूपये मात्र (अप्रैल, 2015 से फरवरी 2016)

5. बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा सर्टिफाईड कॉपी से आय 126628/– रूपये मात्र (अप्रैल, 2015 से फरवरी 2016)

कुल योग– 188773/– रूपये मात्र।

7. भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 :–

भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिनियमों के तहत उठने वाले किसी विवाद के निराकरण में लागू होगी, क्योंकि उक्त अधिनियम में ऐसे विवादों को समाहित किया गया है और उनके समाधान के लिए मंच, प्रक्रिया तथा संयंत्र का प्रावधान किया गया है :–

1. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950
2. बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885
3. बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947
4. बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954
5. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भू अर्जन) अधिनियम, 1961
6. बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956

सरकार द्वारा बन्दोबस्त की गयी जमीन से उत्पन्न विवाद, भूहदबंदी के अन्तर्गत अर्जित अधिशेष भूमि के वितरण से उत्पन्न विवाद, भूदान द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि से उत्पन्न विवाद एवं सरकार द्वारा क्रय कर उपलब्ध करायी गयी जमीन से बेदखल किये जाने, सीमा बिवाद एवं रैयती भूमि से संबंधित विवादों के समाधान हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 प्रभाव में लाया गया है। उक्त अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में वाद दायर किये जाते हैं जिसका निष्पादन उनके द्वारा 90 दिनों के अंदर किया जाता है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा उक्त अधिनियम के तहत आदेश का अनुपालन अंचल अधिकारियो/थाना प्रभारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसके तहत पीड़ित पक्षों को त्वरित न्याय प्राप्त हो रहा है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के आदेश से व्यथित पक्ष के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में अपीलवाद दायर करने का प्रावधान निर्धारित है। दिनांक–01.04.2015 से भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के वादों का अनुश्रवण ऑनलाईन पोर्टल से किया जा रहा है। इस व्यवस्था में अनुमण्डल/प्रमंडल के द्वारा प्रविष्टियाँ की जाती है। जिसका अनुश्रवण विभाग द्वारा की जाती है।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत (01 अप्रैल, 2015 से पूर्व के लंम्बित तथा वित्तीय वर्ष 2015–16) में दायर वादों एवं निष्पादित वादों की स्थिति निम्नवत् है :–

1. अबतक दायर वादों की संख्या–7329
2. अबतक निष्पादित वादों की संख्या–4422

8. भू–अर्जन :–

(i) **वित्तीय वर्ष–2016–17 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम** : वित्तीय वर्ष–2016–17 में अधियाची विभाग/प्राधिकार से प्राप्त होने वाले अधियाचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विवरणी :–

1. जिला मुख्यालय/अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय स्तर पर लैंड बैंक योजना
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)
3. जोगवनी से विराट नगर (भारत–नेपाल नई रेल लाईन)
4. जयनगर –बिजलपुरा–वर्दीदास–(भारत–नेपाल नई रेल लाईन)
5. अररिया–गलगलिया नई रेल लाईन
6. बिहटा–औरंगाबाद नई रेल लाईन
7. गया–चतरा नई रेल लाईन
8. हाजीपुर–रामदयालुनगर रेलवे लाईन दोहरीकरण
9. सीतामढ़ी–जयनगर–निर्मली नई रेल लाईन

10. सकरी–हसनपुर– भाया –कुशेश्वर स्थान नई रेल लाईन
11. मोतिहारी–सीतामढ़ी नई रेल लाईन
12. मुजफ्फरपुर–कटरा–ओरल–जनकपुर नई रेल लाईन
13. आरा–भभुआ–मुदेश्वरी नई रेल लाईन
14. गया–डालटेनगंज–भाया–रफीगंज नई रेल लाईन
15. भारत–नेपाल सीमा पथ
16. एस0एस0बी0, बटालियन हेडक्वार्टर, सीतामढ़ी
17. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, पूर्वी चम्पारण
18. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, सीतामढ़ी
19. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, किशनगंज
20. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, मधुबनी
21. एस0एस0बी0, बी0ओ0पी0, पश्चिम चम्पारण
22. एन0 एच0 ए0 आई0 की महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ–एन0एच0–30 ए0, एन0एच0–82, एन0एच0–98, एन0एच0–104,एन0एच0–106,एन0एच0–107, एन0एच0–131–ए, एन0एच0–527–सी0 इत्यादि

(ii) दिनांक–01.01.2015 से दिनांक–29.02.2016 तक विभिन्न परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि का विवरण:–

क्र.	परियोजना का नाम	संबंधित जिला	अर्जित रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4
1	भारत–नेपाल सीमा पथ	प0चंपारण (बेतिया)	196.79
2	भारत–नेपाल सीमा पथ	पू0चंपारण (मोतिहारी)	237.59
3	बी0एम0पी0–11 का मुख्यालय भवन	जमुई	58.43
4	बी0एम0पी0–11 का सिपाही प्रशिक्षण स्कूल	जमुई	63.85
		कुल योगः–	**556.66**

(III) बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 का गठन।

भूमि अधिग्रहण के मामलों में सभी हितबद्ध भू–धारियों/किसानों को हितकारी बनाया गया है।

बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है:–

(1) अधिग्रहित भूमि से प्रभावित कृषक मजदूरों को 200 दिनों की वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य एक मुश्त राशि का भुगतान का प्रावधान।

(2) अधिग्रहित भूमि पर काश्तकारी या साझी में फसल पैदा करनेवाले काश्तकारों और बटाईदारों को रू0 25000.00 प्रति एकड़ एकमुश्त राशि भुगतान का प्रावधान।

(3) अधिग्रहित भूमि से प्रभावित शिल्पकारों को रू0 25000.00 प्रति एकड़ एकमुश्त भुगतान का प्रावधान।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य पर 4 गुणा (गुणक–2) मुआवजा राशि देने का प्रावधान।

(5) मुआवजा राशि का वितरण शिविर का आयोजन कर भू धारियों को किया जाना।

(iv) **बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014** बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1440/रा0, दिनांक–13.11.2014 द्वारा निर्गत एवं संसूचित है। नीति की कंडिका–1 में यह प्रावधान किया गया है कि आधारभूत संरचना, जैसे–शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/बांध/ नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिनियम की धारा–2(1) के अधीन परिभाषित अन्य लोक उद्देश्य से कार्यों के लिए भूमि सतत लीज पर ली जा सकेगी।

सतत लीज पर भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बाजार दर (एम0भी0आर0) के 4 (चार) गुणी एवं शहरी क्षेत्रों में 2 (दो) गुणी दर पर उनकी सहमति से प्राप्त की जाएगी।

उक्त नीति के तहत कतिपय परियोजनाओं में भूमि लेने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सारण एवं वैशाली जिलों में पथ निर्माण विभाग के द्वारा इस नीति के अन्तर्गत भूमि प्राप्त करने की अच्छी पहल हुयी है। इसके अन्तर्गत ऊर्जा विभाग एवं अन्य विभाग के द्वारा भी इस नीति का समुचित उपयोग किया जा रहा है इस से भूमि की प्रक्रिया सरल हो गयी है।

9. **भूमि हस्तान्तरण के संबंध में :–** वित्तीय वर्ष 2015–16 में अबतक विभिन्न विभागों/निगमों/केन्द्रीय संस्थानों को भूमि (निःशुल्क एवं शशुल्क) हस्तान्तरित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 42 भूमि हस्तान्तरण के मामले निष्पादित किए गए है। इसमें कुल 824.30575 एकड़ भूमि हस्तान्तरित किए गए हैं।

भूमि हस्तांतरण को सरल बनान के उद्देश्य से राजस्व विभागीय संकल्प सं0–359(6) दिनांक–19.05.2014 द्वारा सरकारी भूमि के अर्न्तविभागीय (निःशुल्क) हस्तांतरण की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त (3 से 5 एकड़ तक) एवं समाहर्त्ता (3 एकड़ तक) को प्रत्यायोजित किया गया है, जिससे अर्न्तविभागीय भूमि हस्तांतरण के अधिकांश मामले प्रमंडल एवं जिला स्तर पर निष्पादित किये जा रहे हैं। राज्य स्तर पर उस से इतर का हस्तांतरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विद्युत उपकेन्द्र/पावर ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण हेतु हरतान्तरित सरकारी भूमि की अद्यतन विवरणी।

क्र0	जिला का नाम	हस्तान्तरित भूमि का विवरण / योजना	रकबा	राज्यादेश स0	कुल भुगतेय राशि	जिस संस्था के लिए भूमि हस्तान्तरित किया गया	भूमि का किस्म
1.	बेगूसराय	छौड़ाही अंचल के मौजा–परौरा में **रा0ग0वि0प0 अन्तर्गत**	0.59 एकड़	पत्रांक–920 दि0–08.09.15	7,96,500	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ मालिक
2	जहानाबाद	अंचल काको के मौजा नारायणपुर में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु	0.60 एकड़	पत्रांक–918 दि0–08.09.15	1,08,00,000	साउथ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ मोकरीदार
3	भोजपुर	अगियांव अंचल के मौजा–अगियांव राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना	0.50 एकड़	पत्रांक–919 दि0–08.09.15	15,00,000	साउथ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	जल संसाधन विभाग की भूमि
4	वैशाली	महनार अनुमण्डल के सहदेई बुर्जग अंचल के ग्राम–चकजमाल	3.66 एकड़	पत्रांक–916 दि0–08.09.15	14,82,30,000	बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लि0	प्रखण्ड–सह अंचल कार्यालय की जमीन
5	प0 चम्पारण	मैनाटांड अंचल में ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु	3.50 एकड़	पत्रांक–917 दि0–08.09.15	33,07,5,000	बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ मालिक
6	प0 चम्पारण	अंचल बगहा के मौजा–सिंघाव में बी0आर0जी0 एफ0 फेज– योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु	0.50 एकड़	पत्रांक–912 दि0–08.09.15	3,03,750	नार्थ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ मालिक
7	प0 चम्पारण	अंचल–ठकरांहा के मौजा–ठकरांहा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु	0.50 एकड़	पत्रांक–850 दि0–25.08.15	2,40,000	साउथ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	प्रखण्ड कार्यालय की भूमि
8	समस्तीपुर	मोहिद्दीन नगर अंचल के मौजा–शिवेसिंगपुर	4.85 एकड़	पत्रांक–914 दि0–08.09.15	52,38,000	बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लि0	अनावाद सर्व साधारण
9	मधुबनी	लौकही अंचल के मौजा– कुकरदौड़ा में ग्रीड–सब–स्टेशन के निर्माण हेतु	14.50 एकड़	पत्रांक–915 दि0–08.09.15	1,46,81,250	बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ आम प्रति

10	मधुबनी	गधेपुर अंचल के मौजा–भीठ भगवानपुर में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु	5.00 एकड़	पत्रांक–726 दि0–13.07.15	82,12,500	बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी कम्पनी लि0	गैरमजरूआ खास
11	अररिया	फारबिसगंज अंचल के मौजा–मटियाही में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु	0.60 एकड	पत्रांक–913 दि0–08.09.15	3,0,15,0000	नार्थ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	जल संसाधन विभाग की भूमि
12	अररिया	रानीगंज अंचल के मौजा–गुणवन्ती में रा0 गा0 योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु	0.60 एकड़	पत्रांक–661 दि0–25.06.15	3,60,000	नार्थ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ खास
13	गोपालगंज	अंचल–कैटइया के मौजा– रानीपुर निजामत योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु	0.50 एकड़	पत्रांक–849 दि0–25.08.15	85,50,000	नार्थ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	प्रखण्ड परिसर की भूमि
14	सिवान	अंचल लकड़नवीगंज के मौजा–परौरी के अर्न्तत ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु	4.64 एकड़	पत्रांक–851 दि0–25.08.15	2,61,00,000	बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ आम
15	कटिहार	अंचल मनिहारी के मौजा–मनिहारी के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु	2.65 एकड़	पत्रांक–797 दि0–05.08.15	2,38,50,000	बिहार स्टेट पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ आम
16	रोहतास	सासाराम अंचल के मौजा–मदैनी में बी0आर0जी0 एफ0 योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु	0.50 एकड़	पत्रांक–795 दि0–04.08.15	13,50,000	साउथ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	अनावाद सर्वसाधारण
17	बांका	बांका अंचल के वार्ड सं0–08 में बी0आर0जी0 एफ0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु	0.595 एकड़	पत्रांक–734 दि0–15.07.15	53,55,000	साउथ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	प्रखण्ड परिसर की भूमि
18	पूर्वी चम्पारण	अरेराज अंचल के मौजा–चण्डी ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु	3.00	पत्रांक–677 दि0–30.06.15	94,50,000	बिहार स्टेट पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ मालिक

19	पूर्वी चम्पारण	पकड़ीदयाल अंचल के मौजा –बाराहरक में पा0ग्री0सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि हस्तान्तरण।	5.00 एकड़	पत्रांक–662 दि0–25.06.15	1,68,75,000	बिहार स्टेश पावर ट्रांशमिशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ मालिक
20	पटना	पुनपुन अंचल के मौजा–लखना में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु	0. 53725 एकड़	पत्रांक–641 दि0–22.06.15	1,44,27,619	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी कम्पनी लि0	गैरमजरूआ आम
21	मुंगेर	टेटिया बंबर अंचल के मौजा–मजलिसपुर राजीव गांधी योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु	0.5930 एकड़	पत्रांक–637 दि0–22.06.15	39,13,800	साउथ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	गैरमजरूआ आम
22	नवादा	नरहट अंचल के मौजा–खनवा में पावर ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु	6.00 एकड़	पत्रांक–670 दि0–29.06.15	94,50,000	बिहार ग्रीड कम्पनी लि0, पटना	अनावाद सर्वसाधारण
23	सारण	अमनौर अंचल के मौजा–रसूलपुर में गैर इनसुलेटेड ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु	6.00 एकड़	पत्रांक–676 दि0–30.06.15	1,13,40,000	बिहार ग्रीड कम्पनी लि0, पटना	गैरमजरूआ मालिक
24	कैमूर	भगवानपुर अंचल के मौजा–कुडंवा में बी0आर0जी0 एफ0 योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु।	0.59 एकड़	पत्रांक–586 दि0–08.06.15	25,22,250	साउथ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	अनावाद बिहार सरकार
25	कैमूर	कुदरा अंचल के मौजा–नरोखर में बी0आर0जी0 एफ0 योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु।	0.59 एकड़	पत्रांक–250 दि0–11.03.15	39,82,500	साउथ बिहार पावर ड्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लि0	अनावाद सर्वसाधारण
26	भागलपुर	गोराडीह अंचल के मौजा–पिथना के पावर ग्रीड निर्माण हेतु	5.39 एकड़	पत्रांक–584 दि0–05.06.15	2,30,42,250	बिहार ग्रीड कम्पनी	गैरमजरूआ सर्वसाधारण
कुल भूमि–			**71. 98525 एकड़**				

		प्रबन्धन संस्थान, बोधगया की स्थापना हेतु					
11	पटना	बख्तियारपुर अंचल के मौजा–देदौर में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु।	10.00 एकड़	पत्रांक–1110, दि0–12.11.15	**निःशुल्क**	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	कृषि फॉर्म
12	पटना	पटना सदर अंचल के पटना गया रोड़ में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार हेतु।	0.344 एकड़	पत्रांक–323, दि0–25.03.15	**निःशुल्क**	विधि विभाग	–
13	मुंगेर	हवेलीखड़गपुर अंचल में जलापूर्त्ति योजना हेतु	9.92 एकड़	पत्रांक–842, दि0–19.08.15	**निःशुल्क**	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	जल संसाधन विभाग की भूमि
14	बेगूसराय	बरौनी अंचल के मौजा–मलहीपुर में जलापूर्त्ति योजना हेतु।	16.00 एकड़	पत्रांक–824, दि0–13.08.15	**निःशुल्क**	–	गैरमजरूआ खास
15	औरंगाबाद	नवीनगर थर्मल पावर परियोजना हेतु एन0 टी0 पी0 सी0 को हस्तान्तरित भूमि में से 3.00 एकड़ रैयतीकृत भूमि को हस्तान्तरण अधिसूचना से विमुक्ति।	3.00 एकड़	पत्रांक–1109 दि0–12.11.15	–	–	–
16	पटना	पटना सदर अंचल के मौजा–मैनपुरा, दियारा में गंगा रेल पुल परियोजना से विस्थापित 205 परिवारों का पुनर्वासन	6.50 एकड़	पत्रांक–146 दि0–29.01.16	निःशुल्क	–	असर्वेक्षित सरकारी भूमि
		कुल भूमि–	**752.3205 एकड़**				

नोट :– मार्च, 2015 से अबतक तक विभिन्न विभागों / संस्थानों इत्यादि को कुल– 752.3205 एकड़ सरकारी भूमि हस्तान्तरित की गयी है, जिसमें ड्रिग्री कॉलेज के लिए कुल–7.85 एकड, भारतीय प्रबन्धन संस्थान (प्प्ड) बोधगया की स्थापना हेतु कुल–118.82 एकड़ एवं जमुई जिले के विभिन्न अंचलों की बरनाल जलाशय परियोजना हेतु कुल–468.11 एकड़ भूमि सम्मिलित है।

10. **राज्य के शहरी क्षेत्रों में सरकारी (लोक) भूमि की घेराबंदी :–** सरकारी भूमि के लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने एवं अतिक्रमण मुक्त कराकर सरकारी भूमि को सुरक्षित किए जाने हेतु इसकी घेराबंदी कराए जाने की आवश्यकता को देखते हुए इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में 49.00 लाख रू0 का बजट उपबंध प्रस्तावित है। यह कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना हैं।

11. **दाखिल–खारिज :–** लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत् दाखिल खारिज से सम्बन्धित सभी आवेदन पत्र अंचल कार्यालय में संचालित RTPS काउन्टर पर प्राप्त किया जाता है एवं उसका निष्पादन उक्त अधिनियम के तहत् निर्धारित अवधि यथा जिन मामलों में आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते है का निष्पादन 15+3=18

दिनों में एवं जिन मामलों में आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त होता है का निष्पादन 2 माह में किया जाता है। दाखिल–खारिज वादों के त्वरित निष्पादन सभी समाहर्त्ताओं को प्रत्येक मंगलवार को जिला के सभी अंचलों में राजस्व शिविरों का आयोजन किये जाने का आदेश दिया गया है जिसके आलोक में पांच पंचायतों की सीमा क्षेत्र के लिए प्रत्येक मंगलवार को राज्य के सभी अंचलों में राजस्व शिविरों का आयोजन किया जाता है जिसमें दाखिल खारिज के वैसे वादों जिसमें कोई आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है, का निष्पादन शिविर में ही आवेदन प्राप्त होने की तिथि को किया जाता है। राजस्व शिविर में जिन मामलों में आपति आवेदन पत्र राजस्व प्राप्त होता है वैसे मामलों का निष्पादन संबंधित पक्षों के द्वारा समर्पित साक्ष्यों की जांच कर अगले शिविर में किया जाता है। राजस्व शिविर का आयोजन पाँच पंचायतों के लिए एक स्थल पर किया जाता है, जहाँ दाखिल खारिज वादों के निष्पादन के साथ ही रैयतों को शुद्धि पत्र एवं लगान रसीद भी उपलब्ध करा दिया जाता है। उक्त शिविर में दाखिल खारिज के साथ ही अन्य राजस्व से संबंधित मामलों का निष्पादन भी किया जाता है।

दाखिल–खारिज की वर्षवार उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

वित्तीय वर्ष	कुल दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
2013–14	1720696	1711482
2014–15	1494228	1378275
2015–16	443957	424708

12. सैरात :–

सैरातों की बन्दोबस्ती से सम्बन्धित विवरणी निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष	सैरातों की संख्या	बनदोबस्त सैरातों की सं0	बन्दोबस्ती / विभागीय वसूली से प्राप्त राशि (रू0 लाख में)
2010–11	6927	3368	946.11
2011–12	6903	3607	102.33
2012–13	6095	2743	109.33
2013–14	5888	3935	148.95
2014–15	6596	3964	134.98
2015–16	6435	3168	1866.77

13. भू–लगान :–

1. भू–लगान, सेस, सैरात एवं अन्य विविध मांग का लक्ष्य एवं उपलब्धि प्रतिवेदन।
2. भू–लगान की वसूली न सिर्फ़ राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वरन् लगान रसीद, भूमि संबंधी विवादों के निष्पादन एवं सामाजिक शांति बनाये रखने में भी अहम भूमिका अदा करती है।

राजस्व लगान की वसूली से सम्बन्धित विवरणी निम्नवत् है :–
भू–लगान की वसूली का लगान की प्राप्ति

वित्तीय वर्ष	लक्ष्य (रू करोड़ में)	प्राप्ति (रू करोड़ में)	प्राप्ति प्रतिशत
2013–14	205.00	204.08	99.5
2014–15	250.00	271.57	108.63
2015–16	300.00	517.50	172.5

वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 300 करोड़ के विरूद्ध अद्यतन रू0 517.50 करोड़ के लगान की रेकॉर्ड वसूली हुई है, जो लक्ष्य का 172.5% है।

14. **निलाम–पत्र वाद :–**

1. वर्ष 2013–14 में कुल 188.77 करोड़ रूपए की वसूली की गयी।
2. वर्ष 2014–15 में कुल 247.35 करोड़ रूपए की वसूली की गयी।
3. वर्ष 2015–16 में कुल 258.72 करोड़ रूपए की वसूली की गयी।

15. **वासगीत पर्चा :–** सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के बीच गृह हेतु वासगीत पर्चा का वितरण किया जाता है। वर्ष 2007–08 में 15700 व्यक्तियों के बीच वासगीत पर्चा वितरित की गई है, जिसमें 800.06 एकड़ भूमि सन्निहित है। वर्ष 2008–09 में 14184 व्यक्तियों के बीच 613.43 एकड़ भूमि की पर्चा वितरित हुई। वर्ष 2009–10 में 10399 व्यक्तियों के बीच 366.03 एकड़ भूमि की पर्चा वितरित हुई। वर्ष 2010–11 में 15558 व्यक्तियों के बीच 532.51 एकड़ भूमि की पर्चा वितरित हुई। वर्ष 2011–12 में 10292 व्यक्तियों के बीच 433.46 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित की गई। वर्ष 2012–13 में 7577 व्यक्तियों के बीच 275.95 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित की गई है। वर्ष 2013–14 में 21075 व्यक्तियों के बीच 684.77 एकड़ भूमि की पर्चा वितरित की गई। वर्ष 2014–15 में 17838 व्यक्तियों के बीच 715.837 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित की गयी तथा वर्ष 2015–16 में 15639 व्यक्तियों के बीच 787.832 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित की गयी।

वित्तीय वर्ष	कुल लाभान्वितों की संख्या	वितरित भूमि का रकबा (एकड़)
2010-11	15558	532.51
2011-12	10292	433.46
2012-13	7577	275.95
2013-14	21075	684.77
2014-15	17838	715.837
2015-16	15639	787.832

16. बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वाधान में मेलों का आयोजन (वर्ष 2015–16) :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 की अवधि में हाट, बाजार, कचहरी आदि के संरक्षण हेतु कुल उपबंधित राशि 5,88,17,000=00 रूपया है। जिसके विरूद्ध चालू वित्तीय वर्ष में निम्न मेला के आयोजनार्थ विभिन्न जिलों के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

क्रम	मेला का नाम	जिला का नाम	विमुक्त राशि
1	2	3	4
1	राजगीर मलमास मेला, 2015	नालन्दा	1,00,000=00
2	पितृपक्ष मेल, 2015	गया	55,00,000=00
3	श्रावणी मेला, 2015	बांका	40,00,000=00
4	कार्तिक पूर्णिमा मेला, 2014 एवं माघी पूर्णिमा मेला, 2015	बेगुसराय को अतिरिक्त आवंटन	2,10,000=00
5	बाबा हरिगिरीधाम श्रावणी मेला, 2014	बेगुसराय को अतिरिक्त आवंटन	5,76,000=00
6	श्रावणी मेला, 2015	भागलपुर	58,00,000=00
7	श्रावणी मेला, 2015	मुंगेर	45,01,288=00
8	श्रावणी मेला, 2015	लखीसराय	18,00,000=00
9	श्रावणी मेला, 2015	जमुई	10,00,000=00
10	बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला, 2015	मुजफ्फरपुर	23,00,000=00
11	बाबा दूधनाथ श्रावणी मेला, 2015	मुजफ्फरपुर	13,00,000=00
12	बाबा हरिगिरी धाम श्रावणी मेला, 2015	बेगुसराय	43,76,000=00
13	अरेराज श्रावणी मेला, 2015	पूर्वी चम्पारण	2,30,000=00
14	बाबा केवल स्थान राजकीय मेला, 2015	समस्तीपुर	20,00,000=00
15	राजगीर मलमास मेला, 2015	नालन्दा	2,50,000=00
16	पहलेजाघाट श्रावणी मेला, 2015	सारण	2,50,000=00
17	पुनपुन पितृपक्ष मेला, 2015	पटना	17,00,000=00
18	सिमरिया मेला, 2015	बेगुसराय	22,00,000=00
19	औरंगाबाद देव कार्तिक छठ मेला, देवी चैती छठ मेला, 2015 एवं बकाया भुगतान	औरंगाबाद	15,00,000=00
20	मंदार महोत्सव (बौंसी मेला) एवं पापहरणी मेला, 2015	बांका	10,00,000=00
21	राष्ट्रीय चौहरमल मेला, 2015 (बकाया सहित)	बाढ़, पटना	30,00,000=00
		कुल योग :–	4,35,93,288=00

17. केन्द्र प्रत्योजित योजना (National Land Record Modernization Programme) (NLRMP) राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम :–

भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम)

इस योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण, खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितो की रक्षा की जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस कार्य हेतु राज्यांश के रूप में 7650.31 लाख रूपये एवं केन्द्रांश की राशि 507.00 लाख रूपये उपबंधित है। एन0एल0आर0एम0पी0 योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किए जा रहे है :–

- केन्द्र प्रायोजित योजना National Land Record Modernization Programme (NLRMP) राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम :–

(i) **डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार :–** आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री–सर्वे मानचित्र तथा खतियान के डाटा का प्रत्येक अंचल में संधारण तथा समय समय पर अद्यतीकरण करते हुए भू–धारियों को भू–अभिलेखों की आपूर्ति कराया जाना है।

भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य योजना मद से 30.65 लाख रूपये प्रति अंचल तथा आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 12.50 लाख रूपये प्रति अंचल की दर से राशि विमुक्त की जाती है। कुल स्वीकृति 23042.10 लाख रूपये की है।

भू–अभिलेखों का मुख्य स्रोत अंचल कार्यालय है। आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री–सर्वे मानचित्र तथा अद्यतन खतियान का उचित संधारण तथा समय–समय पर अद्यतीकरण करते हुए भू–धारियों को इसकी आपूर्ति के कार्य हेतु आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। इन आधुनिक उपकरणों को प्रत्येक डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार में स्थापित कराया जा रहा है। राज्य के सभी 534 अंचलों में भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। अभी तक 246 अंचलों में भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। 145 अंचलों के लिए आधुनिक उपकरण बेलट्रॉन द्वारा आपूर्ति किया जा चुका है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में शेष अंचलों में डाटा केन्द्र राह आधुनिक अभिलेखागार का भवन निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस कार्य हेतु 30 करोड़ रूपये का बजट उपबंधित है।

(ii). **सर्वे मानचित्रों का डिजिटाईजेशन :–** वर्षो पूर्व कागज पर तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों को नष्ट होने से बचाने तथा खतियान के साथ Integrate करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में मानचित्रों का संधारण किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य के सभी 38 जिलों का कैडस्ट्रल एवं 28 जिलों यथा भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, सिवान, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर, पटना, अररिया, कटिहार, नालंदा, सुपौल, गया, शिवहर, सहरसा, नवादा, मधेपुरा, वैशाली, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी एवं किशनगंज में रिविजनल मानचित्रों का डिजिटाईजेशन कार्य पूरा कर लिा गया है।

बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से राज्य के सभी जिलों के डिजिटल राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो चुका है। राज्य के 07 जिलों यथा नालंदा, पटना, खगड़िया, मधेपुरा, भोजपुर, बक्सर एवं कैमूर सदर अंचल कार्यालय से संबंधित जिला के सभी अंचलों के डिजिटल राजस्व मानचित्रों की आपूर्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त लखीसराय, सहरसा, बेगूसराय, सुपौल एवं मधेपुरा (उदाकिशुनगंज अंचल) में उक्त कार्य हेतु प्लौटर स्थापित कर दिया गया है एवं मानचित्र आपूर्ति कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है।

अगले चरण में शेष सभी जिलों के सदर अंचलों से डिजिटल राजस्व मानचित्र आपूर्ति का कार्य प्रारंभ करने की योजना है।

(iii) **डाटा इंट्री/री–इंट्री/डाटा कनवर्जन :–** राज्य के प्रत्येक भू–धारी के अद्यतन चालू खतियान का निर्माण एवं कम्प्यूटरीकरण करते हुए विभागीय वेबसाईट पर डाटा का प्रकाशन तथा सुविधा केन्द्रों से रैयतों/किसानों को खतियान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

इस कार्य हेतु एन0आई0सी0, पटना द्वारा ''भू–अभिलेख–2'' नाम से सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य के सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। सॉफ्टवेयर खतियान के 14 कॉलम के प्रपत्र पर आधारित है। अभी तक 18 जिलों यथा नालंदा, लखीसराय, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, मधेपुरा, पटना (आंशिक रूप से), बेगूसराय (आंशिक रूप से), कैमूर (आंशिक रूप से) जहानाबाद (02 अंचल का) एवं वैशाली (आंशिक रूप से) का चालू खतियान विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा चुका है।

भू–अभिलेखों की ऑनलाईन आपूर्ति तथा समय समय पर किए जाने वाले अद्यतीकरण कार्य के लिए जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर के कार्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित किया गया है।

भू–अभिलेखों का मुख्य स्रोत अंचल कार्यालय है। अतएव अंचल कार्यालय द्वारा अद्यतन किए गए भू–अभिलेख डाटा के ऑनलाईन उपयोग हेतु अनुमंडल एवं अंचलस्तरीय कार्यालयों के बीच अन्तःसम्बद्धीकरण (Interconnectivity) का लक्ष्य रखा गया है।

(iv) **प्रशिक्षण कार्यक्रम :–** भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक/उपकरणों का प्रशिक्षण देते हुए क्षमता वृद्धि करना है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भूमि की मापी में ई0टी0एस0 / डी0जी0पी0एस0 तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व मानचित्रों में प्लौट विभाजन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि बंदोबस्त कार्यालय एवं अन्य राजस्व अधिकारियों / कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण देते हुए उनकी क्षमता वृद्धि की जाए ताकि भूमि प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावशाली ढ़ग से लागू किया जा सके। वर्त्तमान में प्राथमिकता के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों / अंचलाधिकारियों / कानूनगो / अमीन को आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के भवन का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। उपस्कर आदि के क्रय का कार्य प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

(v) **री–सर्वे एवं हवाई फोटो ग्राफी :–** बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन की संकर प्रणाली के माध्यम से री–सर्वे मानचित्र तैयार कराया जा रहा है। अद्यतन री–सर्वे मानचित्र के आधार पर बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा अद्यतन खतियान तैयार किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से री–सर्वे कार्यक्रम के अन्तर्गत नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णियाँ, सहरसा, सुपौल तथा मधेपुरा जिला का हवाई फोटोग्राफी से डाटा संकलित कर लिया गया है। वर्त्तमान में नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया तथा लखीसराय जिलों के 897 राजस्व ग्रामों के मानचित्र का सत्यापन, 349 राजस्व ग्रामों के मानचित्र का खानापुरी कार्य, 103 राजस्व ग्रामों के प्रारूप प्रकाशन का कार्य, 02 राजस्व ग्रामों के मानचित्र एवं अभिलेखों का अंतिम प्रकाशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 49 राजस्व ग्रामों का मानचित्र अंतिम प्रकाशन हेतु तैयार है। इस हेतु केन्द्रांश के रूप में 507.00 लाख रूपये एवं राज्यांश के रूप में 450.31 लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट उपबंधित है।

(vi) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य समय–सीमा के भीतर पूर्ण करने हेतु रोड मैप तैयार किया गया है।

18. (क) राजस्व कर्मचारी संवर्ग के पद पर नियुक्ति :–

पूर्व में दो या दो से अधिक पंचायतों को मिलाकर एक राजस्व हल्का सृजित था। राजस्व प्रशासन को सुदृढ करने एवं आम लोगों की सुविधा हेतु राज्य के सभी पंचायतों को राजस्व हल्का के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। पूर्व में राज्य में कुल 4045 राजस्व हल्का था। पंचायतों को राजस्व हल्का का दर्जा दिये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में राज्य में राजस्व हल्कों की कुल संख्या–8463 हो गयी है, जिसके कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राजस्व कर्मचारी संवर्ग के 4353 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी हैं आयोग से अनुसंशा प्राप्त होते ही राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर विभाग द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

(ख) अमीन संवर्ग के पद पर नियुक्ति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अमीन संवर्ग के कुल 721 रिक्त पदों (जिला उप संवर्ग के 389 पद, भू–अभिलेख एवं परिमाप उप संवर्ग के 35 पद एवं चकबंदी निदेशालय के उप संवर्ग के 297 पद) पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी थी। जिसके विरूद्ध कुल 820 अभ्यार्थियों की अनुशंसा सूची प्राप्त हुई। अनुशंसा सूची के अनुसार कुल तीन अभ्यार्थियों की अहर्त्ता नियमावली के अनुसार पायी गयी। जिनकी नियुक्ति की गयी। बिहार अमीन सम्वर्ग निमयावली में अहर्त्ता के बिन्दु पर संशोधन प्रस्तावित है। संशोधनोपरांत नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी।

भूमि विवाद के त्वरित निष्पादन हेतु प्रति पांच पंचायत की दर से एक अमीन अधिकतम एक अंचल में पांच अमीन का पद सृजन किया गया। इस प्रकार 1167 अमीन का अतिरिक्त पद सृजित किया गया है।

(ग) लिपिक संवर्ग में समायोजन

जन शिक्षा विभाग से प्राप्त 99 पूर्व अनौपचारिक शिक्षा पर्यवेक्षकों को लिपिक में समायोजन किया गया, जिसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, के अन्तर्गत चकबंदी निदेशालय एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में नियुक्त किया गया।

19. **चकबन्दी :–** जोतों की चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्त्तमान में राज्य के 5 जिलों के निम्नलिखित कुल 39 अंचलों में सक्रिय रूप से कार्य जारी है –

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमरांव	1. मोहनिया	1. सासाराम	1. कटैया
2. संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभूआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. ईटाढ़ी	3. चांद	3. नासरीगंज	
4. बिहीया	4. सिमरी	4. भगवानपुर	4. काराकाट	
5. बड़हरा	5. नावानगर	5. दुर्गावती	5. विक्रमगंज	
6. उदवन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ़	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनारी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

वर्ष, 2016–17 में 200 ग्रामों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर उन्हें चकबन्दी अधिनियम की धारा–26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक बिहार जोतो का समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम–1956 (चकबंदी अधिनियम) कि धारा 26(क) के अन्तर्गत 4840 ग्रामों का अनाधिसूचित (De-Notify) किया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्वर्गो के कुल 344 कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर किया जा चुका हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु 900 लाख रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

चकबंदी योजना को सफलतापूर्वक समयबद्ध समय–सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने हेतु एक **रोड मैप** तैयार किया गया है इस रोड मैप के अनुसार मार्च–2016 तक अधिनियम कि धारा 26(क) के अंतर्गत 770 ग्रामों को अनाधिसूचित (De-Notify) करने का लक्ष्य रखा गया है।

20. **बिहार लोक सेवाओं का अधिकार :–** बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु आकस्मिक व्यय के लिए राशि की आवश्यकता होगी। उक्त राशि से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु डिसप्ले बोर्ड का अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/जेनरेटर के ईधन पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों पर व्यय किया जायेगा।

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दो सेवा उपलब्ध कराये जाते है, जिनकी समय सीमा निम्नवत् है :–

क्र0	सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5
1	दाखिल खारिज	दाखिल–खारिज वादों का निष्पादन		18 कार्य दिवस
		(क) आपत्ति रहित वाद	अंचलाधिकारी	
		(ख) वाद जिनमें आपत्ति दाखिल की गयी हो	अंचलाधिकारी	60 कार्य दिवस
		(ग) अंतिम आदेश की तिथि के प्रभाव से संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	3 कार्य दिवस
	शिविर	दाखिल खारिज वादों का निष्पादन		
		(क) आपत्ति रहित वाद	अंचलाधिकारी	15 कार्य दिवस
		(ख) आपत्ति विहीन वाद में संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवस
		(ग) आपत्ति युक्त वाद	अंचलाधिकारी	60 दिवस
		(घ) आपत्ति युक्त वाद संशोधन पर्ची का निर्गमन	अंचलाधिकारी	आदेश की तिथि से 03 कार्य दिवस
2	भूमि धारण (पोजेशन) प्रमाण–पत्र	लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट का निर्गमन	अंचलाधिकारी	10 कार्य दिवस

21. **भू–दान** :–राज्य अन्तर्गत भू–दान से प्राप्त भूमि का वितरण बिहार भू दान यज्ञ कमिटी के माध्यम से किया जाता है। राज्य में भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 (छः लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तिरानवे दशमलव एक चार) एकड़ में से 346494.95 (तीन लाख छियालीस हजार चार सौ चौरानवे दशमलव नौ पांच) एकड़ भूमि सम्पुष्ट की गयी है। अभी तक 256392.39 (दो लाख छप्पन हजार तीन सौ बानवे दशमलव तीन नौ) एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 5990.03 (पांच हजार नौ सौ नब्बे दशमलव शून्य तीन) एकड़ भूमि के वितरण का कार्य कमिटी द्वारा किया जा रहा है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिससे भूदान भूमि के वितरण एवं इससे जुड़े अन्य कार्यों पर व्यय की प्रतिपूर्ति होती है। वर्ष 2016–17 में भूदान यज्ञ कमिटी के लिए सहाय्य अनुदान हेतु 1,58,16,000 / – (एक करोड़ अनठावन लाख सोलह हजार) रूपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

				एकड़ में
भूदान से प्राप्त भूमि	सम्पुष्ट भूमि	वितरण में अयोग्य	वितरित भूमि	अवितरित शेष भूमि
648593.14	346494.95	386210.72	256392.39	5990.03

22. **कृषि गणना प्रक्षेत्र** :– कृषि गणना केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना है जिसके अन्तर्गत ऑपरेशनल होल्डिंग के विभिन्न आकार वर्गों में कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं यथा जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल भू–उपयोग, सिंचाई की स्थिति, फसल प्रतिमान आदि पर आँकड़े संकलित किये जाते हैं, जो कृषि विकास कार्यक्रमों के निर्माण एवं उनकी प्रगति के लिए उपयोगी है।

राज्य में कृषि गणना संदर्भ 2010–11 का कार्य सम्पन्न हो चुका है तथा कृषि गणना 2015–16 के क्रियान्वयन के निमित प्रारम्भिक स्तर की तैयारी की जा रही है। कृषि गणना 2015–16 का क्षेत्रीय कार्य जुलाई 2016 से प्रारम्भ होगी। चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में केन्द्रीय योजनान्तर्गत केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना स्कीम कृषि गणना के मुख्य शीर्ष 3454 में कुल 145.30 लाख का उपबंध है। जिसके विरूद्ध माह जनवरी, 16 तक कुल 23.67 लाख राशि का व्यय हुआ है, जो मुख्यतः स्थापना मद से संबंधित है।

23. **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय एवं प्रकोष्ठ का आधुनिकीकरण** :– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय एवं प्रकोष्ठों तथा बुद्ध मार्ग, पटना स्थित चकबंदी निदेशालय के कार्यालय के आधुनिकीकरण मद में 1,00,00,000.00 (एक करोड़) रूपये का बजट उपबंध भवन निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष 2059 के मांग संख्या–3 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस कार्य को पुरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

24. **विभागीय मुख्यालय कार्यालय कक्षो/प्रकोष्ठों का आधुनिकीकरण** :– बिहार भूमि न्यायाधिकरण परिसर में न्यायालय एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 50. 00 लाख (पचास लाख) रूपये का बजट उपबंध भवन निर्माण विभाग के मुख्य शीर्ष–4059 की मांग सं0–3 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

25. **क्षमता वर्द्धन :–** राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्षमतावर्द्धन योजना अन्तर्गत विभागीय/क्षेत्रीय पदाधिकारियों के कौशल में वृद्धि हेतु राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का विभिन्न चरणों में (अभी तक 15 चरण) चार दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन अनुग्रह नारायण सिंन्हा, समाज अध्ययन संस्थान, पटना में राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी अंचल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य के सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को तीन चरण में राजस्व विषयों की चार दिवसीय प्रशिक्षण अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में दिया गया।

राज्य के अभीतक कुल 460 अंचल अधिकारियों को अनुग्रह नारायण सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान, पटना में चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है तथा शेष के लिए प्रस्तावित है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को उनकी विभागीय आवश्यकता के अनुरूप राजस्व से संबंधित सभी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में नव नियुक्त/प्रोन्नत राजस्व अधिकारियों (पूर्व अंचल निरीक्षक) के तीन माह का राजस्व एवं अन्य विषयों का प्रशिक्षण विपार्ड, वाल्मी, पटना में दिया जा रहा है। अभीतक तीन सत्र पूर्ण किया गया है जिसमें 136 राजस्व अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तथा शेष के प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के तहत राज्य के चौमुखी विकास हेतु सभी राजस्व सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मियों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण चलाने का कार्यक्रम है तथा इस कार्यक्रम हेतु 50,00,000/– (पचास लाख) का बजट उपबंध राज्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित है।

26. **महिला सशक्तीकरण :–** सामाजिक रूपरेखा की पारिवारिक कड़ी को सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक है कि अन्य सम्पत्तियों के साथ भू सम्पत्तियों के स्वामित्व एवं अधिकार में महिलाओं की अहम भूमिका हो। इसके लिए खासकर महादलित एवं उपेक्षित वर्ग के परिवारों को सरकारी भूमि बंदोवस्त करने के समय महिलाओं के नाम से पर्चा निर्गत करने की कार्रवाई आवश्यक है, जिसे अधिनियम तथा परिपत्रों के माध्यम से लागू करने की कार्रवाई की गई है।

बिहार स्टेट टेक्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लि॰ पाठ्य–पुस्तक भवन बुद्ध मार्ग, पटना द्वारा
आदेशित तथा पाकीज़ा ऑफसेट, पटना द्वारा 700 प्रतियाँ मुद्रित